संख्या : 122/XXIV-B-5/2020/03(01)/2020

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 | देहरादून, दिनांक 21 मार्च, 2020

विषय – कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के कारण परिषदीय परीक्षा–2020 से वंचित एफ0आर0आई0 परिसर में निवास करने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा पृथक से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक/विविध 35145/को0वा0(COVID-19)/2019–20 दिनांक 21 मार्च, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है **कोरोना वायरस** (COVID-19) संक्रमण के कारण एफ0आर0आई0 परिसर, देहरादून को आईसोलेटेड/Lockdown किया गया है, जिस कारण एफ0आर0आई0 परिसर में निवास करने वाले उत्तराखण्ड बोर्ड की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी दिनांक 21 मार्च, 2020 की परीक्षा से वंचित रह गये हैं। चूंकि दिनांक 23, 24 एवं 25 मार्च, 2020 को भी परिषदीय परीक्षा संपादित की जानी है।

2. अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एफ0आर0आई0 परिसर, देहरादून में निवास करने वाले परीक्षार्थियों की दिनांक 21, 23, 24 एवं 25 मार्च, 2020 को होने वाली परिषदीय परीक्षा–2020 पुनः पृथक से आयोजित करने एवं उक्त परीक्षार्थियों को इसमें सम्मिलित करने हेतु सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल को अधिकृत किया जाता है।

भवदीय

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

पृ0सं0 : 122 /XXIV-B-5/2020/03(01)/2020 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक, सूचना उत्तराखण्ड को उक्त के क्रम में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ प्रेषित।
10. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. कार्यालय प्रति।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।